संख्या- 48 /2026/1250348/सात न्याय-9 (बजट)-2026-07-9099/66/2024

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, उ0प्र0।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) **लखनऊः दिनांक 26 फरवरी, 2026**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2014001020300(उच्च न्यायालय) के मानक मद "49- चिकित्सा व्यय" में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 1,65,00,000/- की स्वीकृति।

महोदय,

अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0 42 के लेखाशीर्ष 2014001020300 (उच्च न्यायालय) के मानक मद "01- वेतन" में प्राविधानित धनराशि से लेखाशीर्ष 2014001020300 (उच्च न्यायालय) के मानक मद "49- चिकित्सा व्यय" में संलग्न बी0एम0-9 संख्याः(आर.ई.-बजट-1-348-ई-12-505-X-2025-26,दिनांक 20-02-2026)में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 1,65,00,000/- (रूपये एक करोड पैसठ लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. (जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
2. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि की मांग जिस प्रयोजन हेतु की गयी है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.03.2026 तक) में उसी कार्य के लिये किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेने के उपरान्त सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु सम्बन्धित संस्था उत्तरदायी होगी।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होगा।

http://shasa

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 संख्या (आर.ई.-बजट-1-348-ई-12-505-X-2025-26,दिनांक 20-02-2026) में उल्लिखित विवरणानुसार न्याय विभाग के अनुदान सं0- 42 के लेखाशीर्ष के नामे डाला जायेगा तथा उक्त बी0एम0- 9 में उल्लिखित मानक मद में हो रही सम्भावित बचत से बी0एम0-9 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या उपर्युक्तानुसार, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वरिष्ठ/मुख्य, कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
6. उप सचिव एवं नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेन्ट) श्री पीयूष कुमार।
7. सब-यूजर, बजट एलाण्टमेंण्ट(विभागाध्यक्ष स्तर), उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2
9. गार्डबुक न्याय-9 (बजट)।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार सिंह-II)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।